भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4931
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के तहत आने वाली फसल

4931. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश की सभी फसलें शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत बीमा के लिए पात्र फसलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम दरों पर सरकार द्वारा राजसहायता दी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन के लिए पूरे प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के प्रकारों के संबंध में कोई शर्तें या अपवर्जन हैं और यदि हां, तो उन घटनाओं या जोखिमों के प्रकार को विनिर्दिष्ट करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिन्हें बीमा के अंतर्गत नहीं लिया जाता है; और
(ड.) क्या किसान बुवाई-पूर्व और फसलोपरांत दोनों प्रकार की हानि के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विशिष्ट अवधियों के लिए इसके कवरेज का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : सरकार किसानों को जलवायु जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ 2016 सीजन से उपज सूचकांक आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की गई है।

पीएमएफबीवाई में सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है, जो फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के आधार पर अपेक्षित वर्षों के पिछले उपज डेटा की उपलब्धता और साथ ही दावों की गणना के लिए फसल की उपज का आकलन करने के लिए अपेक्षित संख्या में सीसीई आयोजित करने की राज्य सरकार की क्षमता के अध्यधीन है। हालांकि, विशिष्ट फसल को संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाली फसलों के लिए, संबंधित राज्य सरकार उन्हें पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत कवरेज के लिए अधिसूचित

करने के लिए स्वतंत्र है, जिसके तहत मौसम सूचकांक मापदंडों के आधार पर दावों का भुगतान किया जा रहा है।

(ख) और (ग): पीएमएफबीवाई के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक्चुरियल/बोली प्रीमियम दरें प्रभारित की जाती हैं। हालांकि, पूरे देश में इस मौसम के लिए किसानों से बेहद कम प्रीमियम दर प्रभारित की जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है। एक्चुरियल प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) के, जहां इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

इसके अलावा, योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश में मानक पीएमएफबीवाई के अलावा 3 वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण मॉडल का प्रावधान हैं, अर्थात् कप और कैप मॉडल (80:110), कप और कैप मॉडल (60:130) और लाभ और नुकसान साझाकरण मॉडल, जिसके तहत एक निश्चित सीमा से कम दावों के मामले में, सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भुगतान किए गए प्रीमियम का हिस्सा राज्य के खजाने में वापस चला जाएगा। राज्यों को इनमें से किसी भी एक मॉडल को मुख्य योजना के रूप में चुनने की छूट दी गई है।

(घ) और (ड.) : पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट और दलहन), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बुवाई के पहले से कटाई के बाद तक फसल नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करता है। योजना के तहत जोखिम कवरेज को दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् बेसिक कवर और ऐड-ऑन कवर।

बेसिक कवर, जो अनिवार्य कवर है, किसानों की फसलों को गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों जैसे सूखा, ड्राई स्पेलस, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक कीट और रोग के हमले, भूस्खलन, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण प्राकृतिक आग से होने वाले व्यापक उपज नुकसान के विरुद्ध क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर सुरक्षा प्रदान करता है, जहां संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपज डेटा के आधार पर दावों की गणना और निपटान किया जाता है। इस मामले में, किसान को सरकार या बीमा कंपनी को नुकसान की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, अनिवार्य बेसिक कवर के अलावा, राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन, फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसीसीआई) के अनुमोदन से, अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में विशिष्ट फसल/क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर, फसल के विभिन्न चरणों और फसल नुकसान के जोखिमों को कवर करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या सभी अतिरिक्त कवर का चयन कर सकते हैं:

1. **संरक्षित बुवाई/रोपण/अंकुरण जेखिम** को तब लागू किया जा सकता है जब बीमित क्षेत्र को कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी/जलवायु परिस्थितियों के कारण बुवाई/रोपण/अंकुरण से रोका जाता है।

2. फसल के मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों जैसे बाढ़, लंबे समय तक सूखा और गंभीर सूखा आदि के मामले में नुकसान के दौरान **मध्य-मौसम प्रतिकूलता** को लागू किया जा सकता

है, जिसमें मौसम के दौरान अपेक्षित उपज सामान्य उपज के 50% से कम होने की संभावना होती है। यह ऐड-ऑन सुविधा ऐसे जोखिमों की स्थिति में बीमित किसानों को तत्काल राहत (ऑन-अकाउंट भुगतान) के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती है।

3. **कटाई के बाद होने वाले नुकसानों** को उन फसलों के लिए कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि तक कवरेज प्रदान करने के लिए लागू किया जा सकता है, जिन्हें उस क्षेत्र में फसलों की आवश्यकता के आधार पर काटकर फैलाकर/छोटे बंडलों में सुखाया जाना आवश्यक है और उन्हें ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों के विरुद्ध कटाई के बाद खेत में छोड़ दिया जाना चाहिए,

4. **स्थानीय आपदाएं** तब लागू की जा सकती हैं, जब अधिसूचित बीमित फसलों को नुकसान/क्षति होती है, जो ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और अधिसूचित क्षेत्र में अलग-अलग खेतों को प्रभावित करने वाली बिजली के कारण प्राकृतिक आग के रूप में पहचाने गए स्थानीय जोखिमों की घटना के परिणामस्वरूप होती है।

5. जंगली जानवरों के हमले के कारण फसल की नुकसान को राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में दिए गए विशेष प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित भी किया जा सकता है।

ऐड-ऑन कवर के मामले में, जहाँ दावों का निर्धारण व्यक्तिगत बीमित खेत के स्तर पर किया जाता है, दावों का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है। इस मामले में, किसानों को नुकसान के 72 घंटों के भीतर राज्य सरकार, बीमा कंपनी, संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों, पोर्टल आदि पर ऑनलाइन नुकसान की सूचना देनी होती है। दावों को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा इन नुकसान सूचनाओं की जांच की जाती है और नुकसान की सीमा राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की समिति द्वारा तय की जाती है।

इसके अलावा, आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत, प्रतिकूल मौसम मापदंडों के आधार पर दावों की गणना की जाती है, जैसे कि कम और अधिक वर्षा, उच्च या निम्न तापमान, आर्द्रता आदि जो फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार, दावे अधिसूचित मौसम स्टेशनों/वर्षा गेज स्टेशनों से प्राप्त मौसम/जलवायु डेटा पर निर्भर हैं।

युद्ध और परमाणु जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों से उत्पन्न होने वाली नुकसानों को इस योजना के अंतर्गत कवरेज से बाहर रखा गया है।

*****